रजिस्टर्ड / गोपनीय

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 14(4)चिस्वा / 2 / 2016पार्ट जयपुर, दिनांक : –14.05.18

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
जयपुर।

विषयः– औषधि नियंत्रण अधिकारी भर्ती परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या 50 के स्थान पर 54 करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.10.17।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारी के 50 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना भिजवायी गई थी। औषधि नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष वर्तमान में औषधि नियंत्रण अधिकारी के 54 पद रिक्त हैं।

अतः औषधि नियंत्रण अधिकारी के 50 पदों पर भर्ती हेतु प्रेषित अर्थना के स्थान पर 54 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अर्थना मय वर्गवार विभाजन के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि संशोधित अर्थना के अनुसार विज्ञप्ति जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराकर पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस विभाग को उपलब्ध कराने का श्रम करादें।

संलग्न– संशाधित अर्थना।

(OIC Ent.)

भवदीय,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
जयपुर
1381
15 MAY 2018
समय..........

2016पार्ट

प्रस्तुत पदों ...

सीधी भर्ती हेतु संशोधित अर्थना पत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

1(क) पद का नाम (हिन्दी) में : औषधि नियंत्रण अधिकारी
पद का नाम (अंग्रेजी) में : Drug Control Officer

(ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या : 54

पदों का आरक्षण :–

वर्ग	कुल पद	कार्यरत	रिक्तिया	पुरूष	महिला	विधवा	परित्यक्ता
अनारक्षित वर्ग	60	32	28	20	05	02	01
अनुसूचित जन जाति	13	07	06	04	01	01	—
पिछड़ा वर्ग	24	13	11	08	02	01	—
एस0बी0सी	01	01	—	—	—	—	—
अनुसूचित जाति	18	09	09	06	02	01	—
कुल	**116**	**62**	**54**	**38**	**10**	**05**	**01**

नोट :– होरिजेन्टल आरक्षण :– विशेष योग्य जन 02 पद,

(ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्ति वर्ष :–

(अ) 20 पद वर्ष 2012–13 (नवीन सृजित– परिशिष्ठ–01)

(ब) 02 पद ex cadre (2011–12 एवं 2012–13 (आरएमएससीएल हेतु) परिशिष्ठ–02 एवं 03 (कुल 22 पद नवसृजित)

(स) 30 पद पदोन्नति से रिक्त (परि–04 से 08)

(द) 01 पद सेवानिवृति से (परि 09)

(य) 01 पद स्वर्गवास से (परि 10)

2 यदि अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/ विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावे या उक्त जातियों के अभ्यार्थियों से ही भरा जावे स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। यदि आरक्षित जाति के अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो सामान्य अभ्यार्थी से भर दिये जावे। — निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोंको भरा जाना प्रस्तावित हैं। वर्ग विशेषके अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसारबैंक लाग रखा जावेगा।

नोटः– अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों की कुल स्पष्ट संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपरोक्त भाग में अंकित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।

(क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है :– राज्य सेवा

(ख) पद किस सेवा नियम के अंतर्गत भरा जाना है :– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963

(ग) पद अथवा पदों की प्रख्यापित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से यदि समाविष्ठ किया गया हो तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें। X

3(क) पद स्थाई है अथवा अस्थाई :–

(ख) यदि अस्थाई है तोः– जी हॉ

1–पद अस्थाई स्वीकृति की अवधि कब तक की हैः–

2/03/2016

		(Fixed) 21160/– प्रतिमाह देय होगा। सफलतापूर्वक पूर्ण परिवीक्षाअवधि होने पर चालू वेतन बैंड में वेतन नियतन किया जायेगा। (परि0–14) 3.परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय। अंशदायी पेंशन योजना परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
(ख)	अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन कितना व किन परिस्थितियों में:–	जी नहीं
6	आयु (क) आयु सीमा – न्यूनतम एवं अधिकतम	21 वर्ष न्यूनतम एवं 45 वर्ष अधिकतम। (राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत। **(राज्य सरकार के पत्र कमांक प016(2)चिस्वा/ग्रुप–2/2001पार्ट दिनांक 31.01.12 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है) (परि0–15)**
	(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट	1.सामान्य महिलायें एवं एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी (पुरूष) :– 5 वर्ष 2.भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष की उम्र तक। 3.विधवा एवं तलाकशुदा महिलायें– कोई आयु सीमा नहीं 1. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी (महिलायें) :– 10 वर्ष 2. निशक्तजन को आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी

नोट:–राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अनुसार विभिन्न जातियों के अभियार्थियों को आयूसीमा में छूट के संबंध में जारी नियमों की प्रति संलग्न की जा रही हैं।

7	पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं) मे :–	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियम 1945, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, ड्रग एण्ड मेजिक रेमेडिज(ओब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, आदि के तहत परिभाषित समस्त कार्य।
8	मुख्यालय	राज्य के किसी भी जिले व तहसील पर सरकार द्वारा निर्धारित, जहां पर पद सृजित हैं।
9	परिवीक्षा काल की अवधि परिवीक्षा काल (प्रोबेशन) प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक हो तो उसका विवरण	दो वर्ष (फिक्स वेतन) परीवीक्षा काल में किसी प्रकार की विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं।
10	क्या पद पेंशन योग्य है :–	जी नहीं, केवल अंशदान पेंशन योजना लागू।
11	अवधि जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थि/ अभ्यार्थियों की नियुक्ति की दिनांक से कार्यभार संभालना है	नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि में।
12	अन्य सुविधायें यथा निशुल्क निवास विद्युत–जल इत्यादि	जी नहीं

कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दो से अधिक बच्चे हो ,सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शासन सचिवालय के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22.6.06 के अनुसार, राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों यथा राज्य सेवा में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों {Standing Instructions} के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता, कार्यालय अनुदेशों {Exectutive Instructions} के अनुसार अर्थना प्रपत्र भेजने के लिए सक्षम है।

23.1.2018

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
स्वास्थ्य भवन,तिलक मार्ग
जयपुर।

2–क्या पद अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है:– जी हॉं

3–क्या पद स्थाई होने की संभावना है:– **जी हॉं**

(ग) क्या पदों पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियां की हुई है, यदि हां तो क्या उनकी नियुक्तियां प्रख्यापित सेवा नियमों के अंतर्गत नई भर्ती (अस्थायी विज्ञापन)/पदोन्नति/स्थानांतरण/संविदा (Contract) द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करे — जी नही

(घ) पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे हैं तथा अथर्ना के साथ उनकी सूची संलग्न करें — नवसृजित, पदौन्नति, सेवानिवृति एवं स्वर्गवास के कारण

(ङ) पद/पदों के रिक्त होने का कारण — नवसृजित, पदौन्नति, सेवानिवृति एवं स्वर्गवास के कारण

4 (क) योग्यताएं:– अनिवार्य (हिन्दी) में अनुभव

Qualification (Essential) & Experience in English

1 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियमों की प्रति संलग्न (परिशिष्ट–11)

(ख) न्यूनतम योग्यता (हिन्दी) में

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 49 के अनुसार (परिशिष्ट–12)

Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University extablished in India by Law.

2. देवनागरी लिपि हिन्दी लिखने व पढने का व्यवहारिक ज्ञान

नोट: 1 यदि योग्यता में समकक्ष योग्यता भी हो तो इन समकक्ष योग्यताओं की सूची संलग्न करें।

2 यदि योग्यताओं में मान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें।

3. यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो तो प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करें कि वह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया गया है।

5(क) पद का वेतनमान:

1. पे बैण्ड –3 15600–39100(ग्रेडपे 5400) (परि0–13)

2. राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 2008 के नियम 21 के तहत परिवीक्षा अवधि में नियत पारिश्रमिक वित विभाग के आदेश कमांक एफ–14(1)एफडी/रूल्स/2011 पार्ट दिनांक 24.12.2014 के अनुसार